मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

संख्याःडीजी परिपत्र संख्या– 21/2020 दिनांकःलखनऊः जून 07,2020

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ/गौतमबुद्वनगर।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषयः– साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के सम्बन्ध में।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ऐसे दृष्टान्त प्रकाश में आये हैं, जहां किकेट इत्यादि के मैच के दौरान विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों/टीमों में हार–जीत के कारण घटनायें घटित हुयी है। बढ़ी हुयी साम्प्रदायिक संवेदनशीलता के दृष्टिगत अधिकाशतः विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं के घटित होने के फलस्वरूप शान्ति/कानून–व्यवस्था व साम्प्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सम्प्रदाय विशेष के मध्य घटित घटनाओं के दृष्टिगत अमन–चैन और सामाजिक समरसता बनाये रखने को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना के प्रतिकूल कार्यवाही करने हेतु सक्रिय तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्व प्रभावी कार्यवाही कराने की अनवरत प्रकिया को क्रियान्वित करने के निरन्तर दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– अतएव छोटी से छोटी घटनाओं को संज्ञान लेते हुए प्रदेश में अमन–चैन, सामाजिक समरसता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना को प्रबल रूप में विकसित किये जाने एवं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के दृष्टिगत निम्नांकित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित हैः–

i. ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर लिया जाये, जिनकी गतिविधियों से साम्प्रदायिक सद्भाव एवं समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो उनके सम्बन्ध में आसूचना का संकलन स्थानीय अभिसूचना इकाईयों, जनसामान्य एवं अन्य श्रोतों से किया जाए तथा प्राप्त होने वाली सूचनाओं का मूल्यांकन करते हुए उनके विरूद्व द0प्र0सं0 तथा एन0एस0ए0/गैगेस्टर/अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाए।

ii. संवेदनशील स्थानों पर समुचित पुलिस व्यवस्था यथा सीसीटीवी कैमरा, पर्याप्त दंगा नियंत्रण/सुरक्षा उपकरण एवं यातायात व्यवस्था आदि सुनिश्चित कराया जाए।

iii. साम्प्रदायिक तनाव/घटना के फलस्वरूप पुलिस बल द्वारा जनपद के सभी धार्मिक स्थल (मन्दिर/मस्जिद एवं अन्य धार्मिक स्थल) की निगरानी रखी जाए तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कोई अवांछनीय वस्तु धार्मिक स्थल के आस–पास मौजूद न हो।

iv. मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में हॉट स्पॉट को चिन्हित कर प्रभावी पुलिस व्यवस्था के साथ–साथ यथाआवश्यक ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाए।

v. साम्प्रदायिक घटना घटित होने के उपरान्त आक्रोशित भीड़ द्वारा एकत्रित होकर सड़कों पर मार्गावरोध तथा धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं सरकारी वाहनों/भवनों/सम्पत्ति आदि को क्षतिग्रस्त किये जाने की आंशका के दृष्टिगत ऐसे स्थानों को चिन्हित कर समुचित पुलिस प्रबन्ध किये जाए।

vi. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक/भड़काऊ संदेश प्रसारित होने पर अन्य जनपदों में भी साम्प्रदायिक सद्भाव प्रभावित होने की प्रबल संभावना रहती है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म यथा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि की अनवरत निगरानी कर सतर्क दृष्टि रखी जाए तथा आपत्तिजनक पोस्टों का खंडन करते हुए तत्काल विधिक कार्यवाही की जाए।

vii. असामाजिक तत्वों/साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनपर निगरानी रखी जाय एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जाये।

viii. महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों एवं प्रतिष्ठानों आदि की जनपद स्तर पर सुरक्षा की कार्ययोजना तैयार कर उसका समय–समय पर रिहर्सल एवं मॉकड्रिल भी कराई जाए।

ix. क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्तियों को पीस कमेटी में सम्मिलित करते हुए आवश्यकतानुसार जनपद स्तर एवं थाना स्तर पर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन आकस्मिक परिस्थिति एवं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति में अवश्य की जाए।

x. साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने में एस–10 के सदस्यों एवं डिजिटल वालिंटियर का अपेक्षित सहयोग लिया जाए।

xi. थाना स्तर पर साम्प्रदायिक मामलों से संबंधित साम्प्रदायिक व बलवा के सभी रजिस्टरों को अद्यावधिक करा लिया जाए एवं आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही की जाये।

xii. दंगा नियंत्रण योजना का नियमित पूर्वाभ्यास कराया जाए । अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए तथा आवश्यकता एवं परिस्थितियों के समरूप विधिक कार्यवाही की जाये।

3– अतः आप उक्त निर्देशों का अनुश्रवण करते हुए अपने जनपद में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायें तथा जनपद में होने वाली छोटी से छोटी साम्प्रदायिक तनाव/घटनाओं को स्वयं संज्ञान में लेकर त्वरित प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रदेश में शान्ति/कानून–व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थिति सुदृढ़ बनी रहें।

6/1/20

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, अभिसूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।